

मत्स्य निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

सं०सं०-म०नि०-IV-लेखा-247/2018-19/ 19(अ०) /मत्स्य/राँची/दिनांक 02,03,2022
प्रेषक,

एच० एन० द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

मुख्य अनुदेशक,
म०कि०प्र०के०, राँची।

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग सं०-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत द्वितीय चरण में मो० 34,00,000/- (चौतीस लाख) रु० मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग- सामान्य स्वीकृत्यादेश सं० 39 रा० (वि०) दिनांक 11.02.2022 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं० 1979 तथा आवंटन सं० 60 आ० (वि०) दिनांक 14.02.2022 ऑनलाईन आवंटन सं० 3994, 3995 एवं 3996 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग सं०-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत मो० 34,00,000/- (चौतीस लाख) रु० मात्र अग्रांकित विवरणी के अनुरूप सामान्य स्वीकृत्यादेश सं० 39 रा० (वि०) दिनांक 11.02.2022 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं० 1979 तथा आवंटन सं० 60 आ० (वि०) दिनांक 14.02.2022 ऑनलाईन आवंटन सं० 3994, 3995 एवं 3996 के आलोक में निधि का आवंटन किया जाता है। यह आवंटन स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत मो० 34.00 लाख (चौतीस लाख) रु० मात्र के विरुद्ध आवंटित है।

2. उपर्युक्त आवंटन योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक 224/बजट, दिनांक 30.03.2021 के आलोक में व्यय की अनुमति है।

3. राशि की निकासी हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का अनुपालन सख्ती से किया जाए। तुरंत भुगतान हेतु आवश्यक राशि से अधिक राशि की निकासी नहीं की जाए।

4. वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन/उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत निधि का अतिरिक्त आबंटन:

क्र0	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष- 03-प्रशासनिक व्यय 35 प्रशिक्षण व्यय	कुल आवंटन
	विपत्र कोड	53S24050010120010335	
1	2	3	4
1	मुख्य अनुदेशक, म0कि0प्र0के0, राँची	2040000	2040000
कुल योग:		2040000	2040000

मो0 बीस लाख चालीस हजार रुपये मात्र ।

5. वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत निधि का अतिरिक्त आबंटन:

क्र0	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष- 03-प्रशासनिक व्यय 35 प्रशिक्षण व्यय	कुल आवंटन
	विपत्र कोड	53S24050079620010335	
1	2	3	4
1	मुख्य अनुदेशक, म0कि0प्र0के0, राँची	1190000	1190000
कुल योग:		1190000	1190000

मो0 ग्यारह लाख नब्बे हजार रुपये मात्र ।

6. वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना/उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत निधि का अतिरिक्त आबंटन:

क्र0	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष- 03-प्रशासनिक व्यय 35 प्रशिक्षण व्यय	कुल आवंटन
	विपत्र कोड	53S24050078920010335	
1	2	3	4
1	मुख्य अनुदेशक, म0कि0प्र0के0, राँची	170000	170000
कुल योग:		170000	170000

मो0 एक लाख सत्तर हजार रुपये मात्र ।

तीनों लघु शीर्ष में कुल आवंटन मो0 चौतीस लाख रुपये मात्र ।

19(380)
02/03/2022

7. आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि0, दिनांक 15/07/03 में निहित प्रावधान एवं वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाये। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
 8. आवंटित राशि से अधिक अथवा अन्य मदों में व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।
 9. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि सही-सही अंकित/टंकित हो ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके।
 10. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो।
 11. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि कार्य की डुप्लीकेटिंग तो नहीं हो रही है।
 12. आवंटित राशि का वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 के दिये गये निदेश के आलोक में किया जाएगा।
 13. स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश के निदेश का अक्षरशः पालन किया जाए।
 14. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र होंगे, जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा प्राप्त आवंटन के आलोक में राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।
 15. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाए। अंकेक्षण आपत्तियों, अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे **Drop** कराया जाए। साथ ही प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय पूर्व में इस मद में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।
- अनु0- ऑनलाईन आवंटन।

19(380)
02/03/2022

[Signature]

[Signature]

विश्वासभाजन

21/3/22
(एच0 एन0 द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सं0सं0-म0नि0-IV-लेखा-247/2018-19/ 19(3110) /मत्स्य/राँची/दिनांक 02.03.2022

प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/22
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सं0सं0-म0नि0-IV-लेखा-247/2018-19/ 19(3110) /मत्स्य/राँची/दिनांक 02.03.2022

प्रतिलिपि संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/संयुक्त मत्स्य निदेशक एवं उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

21/3/22
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।





आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

1

पत्र संख्या - IV/247/20-21/III/19

दिनांक - 02-Mar-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 53 24050010120010335 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 101 - अन्तर्देशीय मछली-पालन 20 - मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना 01-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme State Scheme : FISHERIES EXTENSION, RESEARCH AND TRAINING SCHEME(0564) Central Scheme : NA	83753	DRNFSH011 PRADEEP KUMAR CHIEF INSTRUCTOR F.F.TC RANCHI 35 - प्रशिक्षण व्यय	2,040,000.00 रुपये बीस लाख चालीस हजार
2	S 53 24050078920010335 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 20 - मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना 01-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme State Scheme : FISHERIES EXTENSION, RESEARCH AND TRAINING SCHEME(0564) Central Scheme : NA	83755	DRNFSH011 PRADEEP KUMAR CHIEF INSTRUCTOR F.F.TC RANCHI 35 - प्रशिक्षण व्यय	170,000.00 रुपये एक लाख सत्तर हजार
3	S 53 24050079620010335 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 20 - मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना 01-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme State Scheme : FISHERIES EXTENSION, RESEARCH AND TRAINING SCHEME(0564) Central Scheme : NA	83757	DRNFSH011 PRADEEP KUMAR CHIEF INSTRUCTOR F.F.TC RANCHI 35 - प्रशिक्षण व्यय	1,190,000.00 रुपये ग्यारह लाख नब्बे हजार

योग: रुपये चौतीस लाख

3,400,000.00

क्रमिक योग:

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR FISHERIES

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मॉग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना & 20 - मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना
मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 101 - अन्तर्देशीय मछली-पालन & 20 - मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना

मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना & 20 - मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53S24050010120010335	53S24050078920010335	53S24050079620010335	Total
1	2	3	4	5	प्रशिक्षण व्यय	प्रशिक्षण व्यय	प्रशिक्षण व्यय	9
1	Doranda	DRNF5H011	Pradeep Kumar	Chief Instructor F.F.Tc Ranchi	₹20,40,000.00 (83753)	₹1,70,000.00 (83755)	₹11,90,000.00 (83757)	₹34,00,000.00

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

कुल आवंटित राशि :- ₹34,00,000.00 (PkSrh1 ykIk) रुपये मात्र ।

19/03/2022
02/03/2022

2/3/22

2/3/22
(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES

